उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 580 /VII-3/01(03)–एम0एस0एम0ई0/2020
देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन **"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. **उद्देश्य** — योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उद्यमशील व्यक्ति/युवा अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

   (i) स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।

   (ii) युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकारों/हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।

   (iii) पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।

2. **कार्ययोजना** — ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग–दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी

उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

3. ऋण एवं अनुदान की मात्रा/सीमा	(1) योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंको व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रू. 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रू. 10 लाख होगी। (2) योजनान्तर्गत एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित, 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रू. 6.25 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रू. 2.50 लाख), श्रेणी बी व बी+ में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रू. 5 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रू. 2 लाख) तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रू. 3.75 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रू. 1.50 लाख), उक्त में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। (3) उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। (4) सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। (5) कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. योजना का कार्यक्षेत्र	यह योजना क्रमांक–3 पर दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू रहेगी।
5. पात्रता की शर्तें एवं अर्हता	(1) आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। (2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। (3) योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा

उपलब्ध होगी।

(4) आवेदक यह इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।

(5) आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया है और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।

(6) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

(7) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(8) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट viability देखते हुये First come first serve के आधार पर किया जायेगा।

6. आवेदन की प्रक्रिया

(1) लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट अन्य आवश्यक/संगत अभिलेखों सहित सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को ऑनलाइन अथवा मुनुअल, जैसी भी प्रक्रिया विहित की जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को आवेदन की पावती (acknowledgement) दी जायेगी।

7. योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

8. पात्र गतिविधियां

पात्र गतिविधियों में सभी प्रकार के व्यवसाय, सेवा गतिविधियां एवं विनिर्माणक सूक्ष्म उद्यम शामिल है।

9. लाभार्थियों का चयन

लाभार्थी का चयन निम्नानुसार गठित जिला कार्यदल (Taskforce) समिति के माध्यम से किया जायेगाः—

1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी। –अध्यक्ष।
2. जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक। –सदस्य।
3. वित्त पोषण करने वाले प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक। –सदस्य।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक अथवा उनके प्रतिनिधि। –सदस्य।
5. तकनीकि, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि। –सदस्य।
6. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी –सदस्य
7. प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। –सदस्य।
8. महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। –सदस्य सचिव।

10. टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों का निस्तारण

(क) अनुमोदन के उपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित बैंकों को अनुशंसा के साथ प्रकरण अग्रसारित किये जायेंगे।

(ख) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। दिवसों की गणना बैंक में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

(ग) 45 दिवस में बैंक से प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी।

11. जिला स्तरीय समीक्षा समिति

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

1. जिलाधिकारी। –अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी। –सदस्य।

3. जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक। –सदस्य।

4. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/ प्रतिनिधि। –सदस्य।

5. जिला सेवायोजन अधिकारी। –सदस्य।

6. आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि। –सदस्य।

7. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी –सदस्य

8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। –सदस्य सचिव।

नोटः आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेंगे।

12. वित्त पोषण हेतु अधिकृत बैंक/ वित्तीय संस्था

(क) सभी सार्वजनिक बैंक।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

(ग) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक/निजी वाणिज्यिक बैंक।

13. वित्त पोषण की प्रक्रिया :

(1) जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों को क्रमवार पंजिका में दर्ज किया जायेगा एवं उक्तानुसार समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक माह में दो बार आयोजित की जायेगी।

(3) लाभार्थी के चयन के उपरान्त 3 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(4) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त हाने के 15 दिन के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बैंक शाखा द्वारा तत्काल जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

(5) ऋण की प्रथम किश्त के वितरण के पश्चात 7 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने वाली बैंक शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में TDR (मियादी जमा) के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना

लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।

(7) लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की दशा में 2 वर्ष के पश्चात मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा। समायोजन के पूर्व जिला उद्योग केन्द्र एवं सम्बन्धित बैंक के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के पश्चात ही उपलब्ध मार्जिन मनी की धनराशि को अनुदान के रूप में समायोजित किया जायेगा।

(8) जान बूझ कर किये गये ऋण दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग केन्द्र को वापस कर दी जायेगी। यदि परियोजना दैवीय आपदा अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बन्द हुई है, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा मार्जिन मनी को लाभार्थी के ऋण के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

(9) नये लाभार्थियों को न्यूनतम 1 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं, यथाः राजकीय पॉलिटैक्निक, आई0टी0आई0, आई0एच0एम0, निसबड, सीपेट, आरसेटी आदि के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

14. विविध

(1) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु BLBC (ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति), DCC (जिला ऋण समिति), DLRC (जिला स्तरीय समीक्षा समिति) तथा DLTFC (जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति) द्वारा समीक्षा की जायेगी। राज्य स्तर पर SLBC (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) द्वारा योजना की समीक्षा की जायेगी।

(2) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जायेगी।

(3) योजना के कुल बजट की 5 प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक/कार्यालयी व्ययों हेतु कंटिनजेंसी के रूप में उपयोग की जा सकेगी।

(4) योजनान्तर्गत किये जाने वाला व्यय बजट प्राविधान के अन्तर्गत सीमित रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में बजट में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त देयतायें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं की जायेगी।

(5) योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मा0 मंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

15. योजना का प्रचार–प्रसार

योजना के प्रचार–प्रसार का दायित्व सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत स्वरोजगार

अपनाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कार्यशाला शिविरों का आयोजन करेंगे और इन शिविरों में उद्यमशील युवाओं/युवतियों को विभागीय योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, परियोजनाओं के चयन तथा उद्यम स्थापना हेतु अपेक्षित सभी जानकारियां देते हुए हर सम्भव सहायता/मार्ग–दर्शन भी दिया जायेगा।

16. विविध

(क) बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से है, जो ऋण गारंटी निधि योजनान्तर्गत मान्य है।

(ख) गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(ग) योजनान्तर्गत स्थापित उद्यम का निरीक्षण जिला उद्योग केन्द द्वारा किया जा सकेगा। ऋण राशि का दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त सन्दर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में विचार हेतु रखे जायेंगे।

(ङ) योजना में संशोधन अथवा स्पष्टीकरण जारी करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।

(च) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के बजट में योजना के लिए अलग से प्राविधान किया जायेगा। योजना के सुचारू रूप से संचालन, प्रचार–प्रसार, पात्र लाभार्थियों के मार्ग–दर्शन, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक विविध व्ययों के लिए आवश्यक बजट को मात्राकृत करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी जनपदों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कर बजट का आवंटन किया जायेगा।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 580 (1)/ VII-3/01(03)-एम0एस0एम0ई0/2020 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव-मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग/निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निजी सचिव-मा. मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।